R 852-III/15

(18)

विष्णु प्रताप सिंह तनय स्व0 श्री वीरेश प्रताप सिंह उम्र 34 वर्ष पेशा कृषि एवं व्यापार निवासी ग्राम व पोस्ट – बैकुण्ठपुर तहसील – सिरमौर जिला रीवाम0प्र0 ---------- निगरानीकर्ता

बनाम

1– श्रीमती शान्ती सिंह पत्नी स्व0 श्री वीरेश प्रताप सिंह उम्र 52 वर्ष

2– सत्या सिंह पुत्री स्व0 श्री वीरेश प्रताप सिंह उम्र 23 वर्ष

दोनो का पेशा कुछ नही, निवासियान ग्राम व पोस्ट– बैकुण्ठपुर थाना– बैकुण्ठपुर तहसील– सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 ----- गैर निग0कर्तागण

श्री अमरेश.. चतुर्वेदी एड के द्वारा आज दिनांक 15-4-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता वर्ष 1959 ई0

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील मऊगंज जिला रीवा के प्र0क्र0– 35/अ–6/2014–15 आदेश दिनांक 26–3–2015 के विरूद्ध ।

महोदय·

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

क, – गैर निगरानी कर्ता गण द्वारा माननीय अधी0 न्यायालय के समक्ष इस आशय की अपील प्रस्तुत की गई थी, कि निगरानीकर्ता व दो अन्य ने पटवारी से मिलकर सा0 गांठ कर ग्राम नदना की भूमि आराजी क्रमांक– 553 रकवा 1·906 है0 ,आ0क्र0– 554 रकवा 0·583 है, आ0क्र0– 558 रकवा 1·586 है0 एवं आराजी क0– 559 रकवा 3·808 है0 कुल भूमि चार किता कुल रकवा 7–883 है0 जो कि पैतृक भूमिया थी गैर निगरानी कर्ता क्र0–1 के पति व निगरानी कर्ता व अन्य के पिता के नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज थी जिन्हे निगरानी कर्ता व अन्य जो कि मृतक के पुत्र है ने वारिसाना नामान्तरण अपने नाम करा लियागया है।

द:
Vp Singh

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 852–तीन/2015 जिला रीवा

विष्णु प्रताप सिंह विरूद्ध श्रीमती शान्ती सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–6–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील मनगंवा जिला रीवा के प्रकरण कमांक 35/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 26–3–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ याचिका के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण के द्वारा तहसील मनगवां पंजी कमांक 1 आदेश दिनांक 20–11–11 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी को की गई। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा अपील की प्रचलशीलता के बिन्दु पर आपत्ति की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 26–3–2014 को दोनों पक्षों को सुनने के बाद आपत्ति को अस्वीकार किया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त अंतरिम आदेश कै विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पत्रिका की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदिकाओं द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी जिसकी प्रचलनशीलता पर आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। अपीलार्थी का धारा 5 का आवेदन भी प्रतिप्रार्थी (निगरानीकर्ता) द्वारा कोई जबाव प्रस्तुत न कने के कारण स्वीकार किया है। इसमें भी कोई त्रुटि	

नहीं की है। यदि धारा 5 पर भी आपत्ति थी तो उसके विरूद्ध जबाव तथा प्रमाण भी पेश करना चाहिए था। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण वारिसान नामांतरण से संबंधित है और अनावेदिका शान्ती सिंह मृतक वीरेश प्रताप सिंह की दूसरी पत्नि एवं अनावेदिका सत्यासिंह मृतक वीरेश प्रतापसिंह की पुत्री है जिसपर आवेदक द्वारा कोई आपत्ति नहीं की है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक की प्रचलनशीलता संबंधी आपत्ति का निराकरण उभय पक्ष को सुनने के पश्चात किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील का अंतिम निराकरण होना है जहां उभय पक्ष अपना पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य